निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 05 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई विभाग, रुद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई विभाग, रुद्रप्रयाग के माह 01/2017 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रमवीर सिंह सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक, श्री पंकज कुमार वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18/05/2018 से 23/05/2018 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** प्रथम लेखापरीक्षा है।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2017 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(2) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सिचाई विभाग का कार्य यह है कि निर्माण कार्य के रूप में सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, जिला रुद्रप्रयाग एवं चमोली, क्षेत्र, उत्तराखंड ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित) (लाख में)	गैर स्थापना (अवशेष)
2015-16	--	-	-	-	-	-	-	-
2016-17	--	-	27.50	11.45	-	-	16.05	-
2017-18	-	-	67.62	53.37	-	-	14.25	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
	शून्य				

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत, राज्य सरकार है।

(iv) इकाई की श्रेणी “सी” है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, सिचाई विभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग में

प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष)

मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र,

अधीक्षण अभियंता,

अधिशासी अभियंता,

सहायक अभियंता,

कनिष्क अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग में

वित्त नियंत्रक , खंडीय लेखाकार, सहायक लेखाधिकारी , प्रशासनिक अधिकारी, लेखाकार, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्क सहायक।

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई विभाग, रुद्रप्रयाग** को (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा संपादित की गयी उन्हे अंकित किया जाये) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई विभाग, रुद्रप्रयाग** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04/2018 एवं 08/2017 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया।

(vii) प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(VI) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

(3) अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक ....से .....तक .... निरीक्षण ......किया गया।

(4) खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी लागू नहीं की गयी है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर सं0 1 रू0 23.84 + 6.68=30.52 लाख अधिक की प्रावद्यिक स्वीकृति विस्तृत ऑगणन की दरों की जॉच किये बिना ही प्रदान किया जाना ।

भारत सरकार द्वारा एस0पी0ए0/ए0सी0ए0के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष एवं आवंटित धनराशि को शासन के संख्या 151/xvII-(2)/17-4(33)/2016 दिनांक 13 जुलाई 2017 को प्राकृतिक आपदा एस0पी0ए0/ए0सी0ए0(आपदा 2013)के अन्तर्गत सिचाई विभाग हेतु अनुमोदित कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 12 कार्यो के लिय रू0 5822.68 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन आहरण कर व्यय करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। जिससे स्पष्ट कहा गया था कि कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की **तकनीकी** स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। तथा त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन एवं राज्य योजना आयोग को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च 2018 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल रूद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि (Rs. 240:-00 lakhs development of Ghat & beautification work in sitapur parking ground along mandakini river), Rs. 135:-00 lakhs working estimate of proposed flood protection works on left bank of pati Gaad in sitapur and proposed ghat at right bank of Mandakini River at Sonprayag Rs. 160:-00 lakhs कुल रू0 535.00 लाख की दिनांक 23/3/2018 को दर विश्लेषण किये बिना ही विस्तृत आगणनों तीन कार्यो पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तथा रू0 240.00 लाख के एक विस्तृत आगणन का अवलोकन करने पर यह भी पाया गया कि विस्तृत आगणन में जो आइटम dust Bin Rs- 5000-00, C.I Decorative seater Bench(110 Kg), Rs. 29,500-00 & C.I Lamp post single arm bracket (4.0M) रू0 46,500.00 दरें बाजार से प्राप्त होनी बतायी गयी थी विस्तृत आगणन में बाजार प्राप्त दरों के कुटेशन/प्रोफर्मा इनवाइस एवं तुलनात्मक विवरण समर्थित अभिलेखों में नही लगे थे, तथा जो एक मात्र कुटेशन डस्ट बिन का Devendra Ravindra Iron Store (Augustyamuni) Rudraprayag का लगाया गया था जिसमें डस्टबीन एवं चेन एम0एस0 घाट हेतु दरें दर्शायी गयी थी,ज्ञात करने पर पाया गया कि सम्बन्धित फर्म वह सामग्री बेचती ही नही थी और ना ही उस कार्य को करने के लिये राज्य में पंजीकृत भी नही थी जैसाकि कुटेशन अभिलेख से ज्ञात होता है।खण्ड कार्यालय के द्वारा प्रेषित विस्तृत

आगणन में वर्तमान में प्रचलित बाजार भाव दरों से दर विश्लेषण सुनिश्चित किये बिना ही उल्लखित की गयी अनुमानित अधिक दरों पर ही प्रावद्यिक स्वीकृति रू0 23.84 लाख एवं रू0 6.68 लाख जी0एस0टी0 कुल धनराशि रू0 30.52 लाख की प्रदान किया जाना बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियमों के विपरीत था।

इस सम्बन्ध में विभाग से पूछे जाने पर अपने उत्तर में बताया गया कि C I decorative Bench and Lamp ost की आपूर्ति हेतु देहरादून शहर में स्थित अधिकृत फर्म से तीन कोटेशन प्राप्त कर न्यूनतम दर दाता की दरों को आधार मान कर विस्तृत प्राकल्लन स्वीकृत किये गये है।तथा डस्ट बीन एवं चैन की बाजार दरें अगस्तमुनी बाजार में उक्त मदों के विक्रय हेतु अधिकृत दुकानदारों दर दाता मैसर्स Devendra Ravindra Iron Store (Augustyamuni) की दरें न्यूनतम पायी गई है, और न्यूनतम दर दाता की दरों के आधार पर प्राक्कलन दरें स्वीकृत की गई है। उक्त सभी आइटमो एवं प्राप्त दरों का तुलनात्मक विवरण उपलब्ध करा दिया जायेगा।

विभागीय उत्तर मान्य नही है, क्योकि विभाग के द्वारा स्वंय यह स्वीकार कर लिया गया है, कि विस्तृत आगणन में बाजार भाव से ली गयी दरें के समर्थित अभिलेख नही **थे**। अर्थात जब बाजार दरे प्राप्त अभिलेख कुटेशन विस्तृत आगणन में नही थें, तो उल्लखित दरों का दर विश्लेषण किये बिना ही प्रावद्यिक स्वीकृति प्रदान करना नियमों का स्पष्ट उल्लघन था, साथ ही साथ यह भी स्पष्ट करना है। कि जब विस्तृत आगणन खण्ड कार्यालय से माह 10/2017 को प्राप्त हो चुके थे, तों पॉच माह बाद भी बिना दर विश्लेषण किये अर्थात वित्तीय वर्ष 2017–18 के अतिंम सप्ताह में प्रावद्यिक स्वीकृति प्रदान करने का औचित्य ही क्या था,क्योकि आवंटित धनराशि को व्यय करने के लिये एवं आवंटित कार्यो की निविदा आमन्त्रित करने के लिये तो पर्याप्त समय अवधि बची ही नही थी। इसलिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के कार्यो को वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ कर पूर्ण नही किया जा सका था। केवल भारत सरकार से प्राप्त धनराशि जोकि शासन के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये शासनादेशों की उल्लिखित शर्तो के आधीन आवंटित की गयी थी, उसकों बिना कार्य प्रारम्भ किये ही कोषागार से आहरित कर अवरूद्व रखा गया था, जोकि शासनादेशों की शर्तो को स्पष्ट उल्लघंन था। क्योकि उक्त आवंटित धनराशि के व्यय करने की स्वीकृति भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये ही प्रदान की गयी थीं। उक्त धनराशि व्यय न होने की दशा में राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को वापस की जानी थी, जैसाकि शासनादेश की शर्तो में कहा गया था। विभाग की इस लापरवाही से जहॉ एक ओर स्वीकृत कार्य प्रारम्भ होकर वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूर्ण नही किये जा सके थे, वही दूसरी ओर अन्य स्वीकृत योजनाओं के कार्य जो बजट की प्रत्याशा में पूर्ण किये जा सकते थें, वह

भी पूर्ण नही हो सकें, क्योकि विभाग के द्वारा शासकीय आवंटित धनराशि का आहरण इस आशाय से किये गया था, कि भविष्य में प्राvद्यान समाप्त हो जायेगा।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी।		
<u>योग</u>	00	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई विभाग, रुद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
(i)	ई एल आर आर्य	अधीक्षण अभियंता	(01-10-16 से 31-01-18 तक)
(ii)	ई प्रेम सिंह पँवार	अधीक्षण अभियंता	(1-02-18 से वर्तमान तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई विभाग, रुद्रप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक खण्ड-II